


प्रकरण सं० 19/2016 अनवानी श्री टेक सिंह पुत्र कौर सिंह उर्फ कोयर सिंह जाति जटसिख निवासी 28 जीजी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1-सुखदेव कौर पत्नि हरचन्द सिंह जाति जटसिख साकिन 28 जीजी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2-जसपाल कौर 3-उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर 4-सुखदेव सिंह 5-बलदेव सिंह



19.12.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुखराज चारण के अधिकार पत्र पर श्री ओ.पी.बतरा अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी सं० 1 व 2 के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है अप्रार्थी सं० 3 व 4 उपस्थित नहीं है। दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि प्रार्थी के नाम चक 28 जीजी के मु०न० 20 में 14.10 बीघा कृषि भूमि है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए काफी समय पुराना रास्ता मु०न० 19 के कि०न० 15, 16, 25, 5, 6 में रास्ता चल रहा है जिसे मन्जूर करवाने के लिए प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रा० पत्र संख्या 230/2015 अनवानी टेक सिंह बनाम सुखदेव कौर पेश किया हुआ है जिसमें तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने भी अपनी रिपोर्ट उक्त रास्ता पुराने समय से चलना बताया है एवं रास्ता स्वीकृत करने की भी सिफारिश की है। इसी बीच अप्रार्थी सं० 1 की तरफ से भी एक प्रा० पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की भूमि मु०न० 20 के कि०न० 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता मन्जूर करवाने के लिए पेश किया गया है जबकि प्रार्थी की भूमि में से कभी भी रास्ता नहीं चला है और न ही पीछे से कोई रास्ता आ रहा है बल्कि पीछे से मु०न० 26 के कि०न० 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता है जिसकी मांग प्रार्थी द्वारा आगे मुरब्बा न० 19 के कि०न० 5, 6, 15, 16, 25 में से की है तथा मु०न० 13 के पूर्व में ही रास्ता चल रहा है। अदालत द्वारा दोनों मामलों का इकट्ठा किया गया है।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी सं० 1 सुखदेव कौर व करनेल कौर दोनों ही, विधायक श्री गुरजन्त सिंह विधान सभा सुादलशहर के नजदीकी रिश्तेदारी में है तथा रिश्तेदारी होने की वजह से विधायक गुरजन्त सिंह द्वारा उपजिलाधीश पर राजनैतिक दबाव डाल रखा है तथा पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव की वजह से सही न्याय नहीं करके जान बूझकर प्रार्थी की भूमि मु०न० 20 में से रास्ता देना चाहते हैं जबकि मु०न० 20 में से पूर्व में ही खाल चल रहा है और कि० न० 1 में सरकार खाल व नाका भी है। इस रास्ते को जाने के लिए तीन पुलियों का निर्माण भी करना पड़ेगा और रास्ता टेढ़ा भी हो जायेगा जबकि नियमों के तहत रास्ता सीधा होना चाहिए। मु०न० 26 से मु०न० 19 के कि०न० 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता सीधा पड़ता है और यही रास्ता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पति भी ऐलानिया कह रहे हैं कि विधायक उनका रिश्तेदार है और उन्होंने पीठासीन अधिकारी को सिफारिश कर दी है और फैसला उनके हक में ही होगा। पीठासीन अधिकारी भी मुकदमा में राजनैतिक दबाव होने से उनके व्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजनैतिक दबाव में निर्णय करना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारी जब मौका देखने गये और प्रार्थीयान द्वारा यह कहा गया कि मु०न० 13 को 9 व 12 में रास्ता चल रहा है लेकिन पीठासीन अधिकारी ने वहां न जाकर खाना पूर्ति की गयी है। जिस कारण उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मुकदमा अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा आरआरटी 2002(2) पेज 878 रामलाल सिंह बनाम मूला का उद्धरण देते हुए कथन था कि चूंकि प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव के कारण उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उक्त प्रकरण को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण का इस न्यायालय में गुण दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जाना है केवलमात्र इस बिन्दु पर निर्णय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे या न किया जावे? प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर जो राजनैतिक दबाव का आरोप लगाया है, वह आरोप एक साधारण प्रकृति का है, ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर लगाया जा सकता है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नहीं बनाता है। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण को भी अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। इसलिए इनके द्वारा रास्ता हेतु प्रा० पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से ही यह मुन्तकिली प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2016 का भी अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने उपर लगाये गये आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए उनके न्यायालय में लंबित प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मूल रास्ता प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं करना है केवलमात्र उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने अथवा न करने पर विचार किया जाना है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित प्रकरण संख्या 230/2015 टेक सिंह बनाम सुखदेव कौर को इस आधार पर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गयी है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव है इसलिए उसे न्याय न मिलने की आशंका है। पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है, ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर भी लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि अगर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ वास्तव में अन्याय होगा। जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बा.न.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर